# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 103/2025

**उनवान**

सेठू पुत्र गोविन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद
—— वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री गोवरधन गुर्जर

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

2. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्द
3. छोटी पत्नी गोविन्द समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री शिवजीराम गुर्जर

---

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

—: निर्णय :— दिनांक :— 11.9.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 130/120 किता 3 रकबा 0.53, 132/123 किता 2 रकबा 0.38, 133/122 किता 13 रकबा 5.25, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.04, 425 रकबा 0.05 व 101 रकबा 0.05 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की सह खातेदारी/काश्तकारी की है। उक्त आराजी में वादी का नाम सेठू पुत्र गोविन्द के बजायत्रुटिपूर्ण तरीके से मुकेश पुत्र गोविन्द दर्ज कर दिया हैं, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र व सरकारी दस्तावेज में सेठू है।अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का सही नाम सेठू पुत्र गोविन्द अंकित किया जावे।
वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया।
प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।
अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व वादी के पहचान दस्तावेज पेश किये एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 130/12[illegible] रकबा 0.53, 132/123 किता 2 रकबा 0.38, 133/122 किता 13 रकबा 5.25, [illegible] 165 रकबा 0.04, 425 रकबा 0.05 व 101 रकबा 0.05की आराजी वादी [illegible] प्रतिवादीगण व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी में वादी का नाम मुकेश पुत्र गोविन्द [illegible]
—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र व सरकारी दस्तावेज में सेठू पुत्र गोविन्द है। आराजी मुतनाजा में वादी क ापाम मुकेश पुत्र गोविन्द जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 766 दिनांक 23.12.19 से दर्ज हुआ हैं। उक्त नामान्तकरण से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 130/120 किता 3 रकबा 0.53, 132/123 किता 2 रकबा 0.38, 133/122 किता 13 रकबा 5.25, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.04, 425 रकबा 0.05 व 101 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वाद पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम मुकेश पुत्र गोविन्द के स्थान पर सेठू पुत्र गोविन्द दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

**उपखण्ड अधिकारी**
**नसीराबाद ( अजमेर )**

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इबाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सेठू बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 103/2025
पेश करने की दिनांक – 22.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक गोवरधन गुर्जर मुद्दई शिवजीराम गुर्जर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बैवंजा के खाता संख्या 130/120 किता 3 रकबा 0.53, 132/123 किता 2 रकबा 0.38, 133/122 किता 13 रकबा 5.25, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.04, 425 रकबा 0.05 व 101 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वाद पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम मुकेश पुत्र गोविन्द के स्थान पर सेठू पुत्र गोविन्द दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बआखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 9 सन् 2025 को जारी की गयी।

| मुददई | मुदायला |
| --- | --- |
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:06 IST
Reason: SelfAttested